उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-23/2016/937/43-1-2016-7(4)/2015
लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2016

संशोधन

इन्डियन इंस्टीटयूट आफ एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4,50,000/- में से प्रथम किश्त रू0 2,22,500 (रूपये दो लाख बाईस हजार पॉच सौ मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने तथा कथित संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए रू0 5000/- की धनराशि आरक्षित रखने की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2016/529/43-1-2016-7(4)/2015, दिनांक 26 अप्रैल, 2016 द्वारा जारी की गयी है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में अंकित अंश **"आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 2,22,500/- आहरित कर बैंक डाफ्ट के माध्यम से अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0 नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।"** के स्थान पर निम्नवत पढा जाए :-

"आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 2,22,500/- आहरित कर अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ के खाता संख्या-55025954836 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जवाहर भवन, लखनऊ में भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। "

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-4-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेगें।

डॉ0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ।
5- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

लुटावन राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।